Service of Development Staff) (Second) Amendment Scheme, 1990.

[Placed in Library. *See* No. LT-1611/90 for (i) to (vii)]

(4) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) under sub-section (3), of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956:—

(i) G.S.R No. 620(E) dated the 6th July, 1990, publishing the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Services) (Second Amendment) Rules, 1990

(ii) G.S.R. No. 621(E) dated the 6th July, 1990, publishing the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for passing Examination) (Amendment) Rules 1990.

(iii) G.S.R. No. 816(E) dated the 1st October, 1990, publishing the Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1990.

(iv) G.S.R No. 825(E) dated the 9th October, 1990, publishing the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1990.

(v) G.S.R. No. 817(E) dated the 4th October, 1990, amending sub-Regulation (4) of Regulation 19 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960.

[Placed in Library. *See* No. LT-1612/91 for (i) to (v).]

I. Report and Accounts (1989-90) of the Spices Trading Corporation Limited, Bangalore and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Spices Board, Cochin and related papers.

III. Report and Accounts (1989-90) of the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotions Council (CHEMEXCIL) Bombay and related papers.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल): श्रीमन् मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1989–90 के वर्ष के लिये गरम मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) और (ii) के लिये देखिये संख्या एल०टी०] 1614/90.

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे):—

(क) 1989–90 के वर्ष के लिये गरम मसाला बोर्ड, कोचीन का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1989–90 के वर्ष के लिये गरम मसाला बोर्ड, कोचीन के वार्षिक लेखे तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) से (ग) तक के लिये देखिये संख्या एल०टी०] 1615/90.

III. (क) 1989–90 के वर्ष के लिये बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कास्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सील) मुम्बई का 27वा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

[श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल]

(ख) काउंसिल के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिये देखिये संख्या एल०टी०/1616/90]

(iii) (क) 1989-90 के वर्ष के लिए प्लास्टिक एंड लिनोलियम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्स काउंसिल) मुम्बई का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) काउंसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । [पुस्तकालय में रखी गई (क) और (ख) के लिए देखिए) संख्या एस० टी०/1617/90]

PRESENTATION OF EIGHTY-FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Sir, I present the Eighty-fourth Report (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation.

डा० रत्नाकर पाडेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला उठाना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) We are going to Special Mentions now.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जो मामला मैं उठा रहा हूं वह स्पेशल मेशन से भी जरूरी है क्योंकि मेरे अधिकार का हनन किया गया है और सरकार के द्वारा किया गया है । इसलिए मैं यह मामला उठा रहा हूं । दिनांक 24 दिसम्बर, 1990 को आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में "राजनीति और नैतिकता" विषय पर एक परिचर्चा हुई थी जिसमें हरकिशन सिंह सुरजीत, नानाजी देशमुख, मुझे और नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री माथुर को बुलाया गया था । उस में जान बूझकर के कहा गया कि पिछली सरकार बहुत महत्व-पूर्ण है (समय की घंटी) उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे अधिकार का हनन किया गया है इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे मौका दें । मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वाणी की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण ढंग से आप देंगे । मैं दो मिनट में अपनी सारी बात रखूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : एक मिनट जरा आप बैठ जाइये पेपर ले कर लेने दीजिए । श्री यशवंत सिन्हा जी ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1990-91 (DECEMBER, 1990

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1990-91 (December 1990).

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : आपने मुझे आदेश दिया था । मैं बता रहा था । कि 24 दिसम्बर को...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Any other item? (*Interruptions*). There is confusion in the List of Supplementary Business. We are taking up the 2.30 business just now. Yes, Mr. Sinha.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (ASSAM) 1990-91

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants for expenditure of the Government of Assam for the year 1990-91.

REFERENCE TO PROGRAMME ENTITLED 'RAJNEETI AUR NAITIKTA' BROADCAST FROM AIR

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, 24 दिसम्बर को आकाशवाणी की ओर से राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था ।